

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

11/2/24

क्रमांक/रिमाण्ड/2024/08

दिनांक: 06.03.2024

संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेशः


दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक/रिमाण्ड ड्यूटी/07 दिनांक 13.02.2024 द्वारा निम्नांकित सूची में कॉलम संख्या-2 में अंकित अवकाश के दिवसों में संपूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र पर फौजदारी प्रकरणों के आवश्यक प्रार्थना-पत्र व कार्य का निस्तारण न्यायालय में समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. तक करने एवं उक्त समय के अतिरिक्त रिमाण्ड ड्यूटी के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् तक से रिमाण्ड ड्यूटी के अगले कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक अपने निवास पर उक्त कार्य करने हेतु लगायी गयी रिमाण्ड ड्यूटी में प्रशासनिक कारणों से निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है-

क्रम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम व पद (पूर्व में लगायी ड्यूटी)	अधिकारी का नाम व पद (संशोधित ड्यूटी)
1.	08.03.2024	सुश्री अंशुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अजमेर	श्रीमती अंकिता दायमा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर (पूर्व), अजमेर
2.	10.03.2024	श्रीमती अंकिता दायमा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर (पूर्व), अजमेर	सुश्री अंशुल शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4, अजमेर

शेष आदेश यथावत् रहेगा।

नोट-

01 उक्त संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर नगर पूर्व, अजमेर के पत्रांक 543 दिनांक 06.03.2024 के क्रम में जारी किया गया है।



06/03/24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर

क्रमांक:- 404-412

दिनांक:- 06.03.2024

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-04, अजमेर
3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर (पूर्व), अजमेर
4. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, अजमेर।
6. उप निदेशक, अभियोजन, अजमेर।
7. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अजमेर आज ही सभी थानों पर संदेश प्रसारित करे।
8. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर।
9. प्रभारी अधिकारी, पूल वाहन, अजमेर।
10. नोटिस बोर्ड, न्यायालय हाजा, अजमेर।


06/03/24
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर